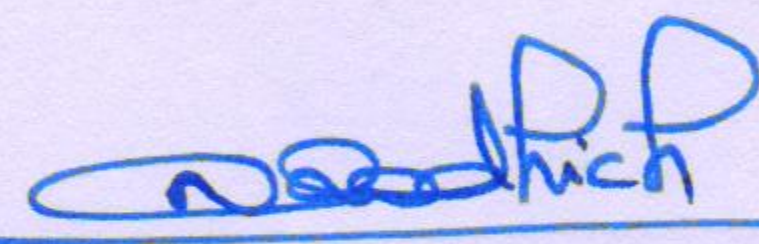


राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)
क्रमांक-सीएसएफ/सूरत/2-271/कृषि/2014.-132 दिनांक 8-1-2015

-: निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में खड़े हुए सूखे पेड़ों को काटकर व गिरे हुये पेड़ों को अपने साधन से विनोडिंग पर लाने हेतु खण्डवार सीलबंद निविदायें/खुली बोली दिनांक 29.01.2015 को सांय 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे क्रमेटी द्वारा खोली जायेगी। एक ठेकेदार को एक से ज्यादा खण्ड नहीं दिया जायेगा। यदि उपरोक्त दिनांक को आमंत्रित निविदाएं निरस्त होने पर पुनः निविदाएं दिनांक 03.02.2015 को पूर्व निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार ली जायेगी। धरोहर राशि रुपये 20000/- मात्र का डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। असफल बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती और निविदाफार्म रुपये 100/- फार्म खंजाची के पास जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।


सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

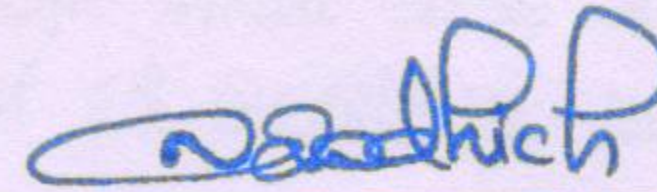
गिरी हुई लकड़ी व सूखे हुए पेड़ों को काटकर विनोईग सेन्टर पर लाने के लिए नियम व शर्तें:-

- 1) नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता/निविदादाता को रू0 20000/- का डीडी जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खंजाची के पास धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा। निविदायें 2.30 बजे तक ली जायेगी तथा 3.00 बजे खोली जायेगी। सफल बोलीदाता/निविदादाता की अमानत राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। उच्चतम बोली/निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना उसी दिन दे दी जायेगी। लकड़ी की दर प्रति क्विंटल से देनी होगी। एक ठेकेदार को एक ही खण्ड का ठेका दिया जायेगा।
- 2) बोली/निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ को होगा।
- 3) ठेकेदार जिस खण्ड का ठेका लेगा उसे उस खण्ड में गिरे हुए पेड़ व लकड़ी को अपने श्रमिक व साधन से उस खण्ड के विनोईग सेन्टर पर व्यवस्थित ढंग से अलग अलग इमारती व जलाउ के ढेर लगाने होंगे।
- 4) खण्ड में खड़े सूखे पेड़ों को ठेकेदार को अपने श्रमिक व साधन से काटकर उस खण्ड के विनोईग सेन्टर पर व्यवस्थित ढंग से अलग अलग इमारती व जलाउ के ढेर लगाने होंगे।
- 5) वर्तमान में गिरे हुए पेड़/लकड़ी व सूखे हुए पेड़ों को काटने के पश्चात् सम्बन्धित खण्ड में पहुंचाने का समय 31.03.2015 तक का होगा। तथा आगे का ठेका 31.03.2016 तक होगा।
- 6) उक्त कार्य सुबह 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे के दौरान ही करना होगा।
- 7) यदि ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व किये गये कार्य का भुगतान जब्त कर लिया जायेगा तथा उसका नाम फार्म की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 8) कार्य के दौरान यदि ठेकेदार के द्वारा फार्म की सम्पति पेड़ आदि का नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 9) फार्म क्षेत्र से विनोईग सेन्टर पर पेड़ व लकड़ी लाते समय सम्बन्धित चक ईचार्ज से गेट पास लेकर आना होगा।
- 10) कार्य के दौरान ठेकेदार के आदमी/श्रमिकों के साथ कोई दुर्घटना होने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 11) ठेका लेने के बाद ठेका किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं कर सकेगा।
- 12) कार्य स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करेगा। तभी कार्य आरम्भ कर सकेगा।
- 13- ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाए श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
- 14- सभी प्रकार की वैधानिक देयता की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

-:आर्बिटेशन:-

यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा। स्वयं में अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक(सोल आर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एवम् कोन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए/पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

आर्बिटेशन एवम् कोन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायक्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।


प्रबन्धक (उत्पादन)

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,
के०रा०फार्म, सूरतगढ़।

महोदय जी,

मैं आपके फार्म गिरी हुई लकड़ी व सूखे हुए पेड़ों को काटकर विनोईंग सेन्टर पर लाने के लिए अपना टेंडर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे फार्म द्वारा इस ठेके के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तें मंजूर हैं।

क्र. सं.	खण्ड संख्या जिसका ठेका लेना है।	कार्य का विवरण	दर प्रति क्वि रूपये में (अंको व शब्दों में लिखें) जो फार्म से लेगा
1		क) गिरी हुई लकड़ी व पेड़ों को अपने श्रमिकों व साधन से ईमारती व जलाउ लकड़ी को फिल्ड से लाकर विनोईंग सेन्टर पर तौल कर अलग अलग ढेर में रखना ख) फिल्ड में खड़े सूखे पेड़ों को काटकर अपने श्रमिकों व साधन से ईमारती व जलाउ लकड़ी बनाकर फिल्ड से लाकर विनोईंग सेन्टर पर तौल कर अलग अलग ढेर में रखना	

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि हम/हमारी फर्म निविदा की नियमों व शर्तों से सहमत है, जो कि मैंने स्वयं पढ़ ली हैं तथा समझ ली हैं। मेरी पूर्ण सहमति है इसलिए हस्ताक्षर कर निविदा प्रेषित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पूरा पता

फोन नं.